जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

लॉस रिडक्शन के लिए गैर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से कनेक्शन जारी करें
– ऊर्जा राज्य मंत्री

जयपुर, 19 अक्टूबर। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेंद्र सिंह ने सुझाव दिया है कि जहां विद्युत तंत्र मौजूद है वहां पर गैर उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी कर दिया जाए तो इससे बिजली चोरी पर अकुंश लगाने के साथ ही छीजत को कम किया जा सकता है। छीजत कम करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में आम आदमी, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए।

श्री पुष्पेंद्र सिंह ने बुधवार को वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से प्रदेश भर में चलाये जा रहे लॉस रिडक्शन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉस रिडक्शन कार्यक्रम के प्रथम चरण में 5000 हजार फीडर चयनित किये गए है जिन पर सुधार कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि लॉस रिडक्शन के साथ ही आम उपभोक्ता को बिना ट्रिपिंग के बेहतर विद्युत सप्लाई भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सुझाव दिया कि जिस तरह अजमेर जिले के बिठुर में स्थानीय जन प्रतिनिधीयों एवं प्रशासन के सहयोग से छीजत को 48 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत किया है इस तरह का कार्य अन्य सब–डिवीजनों को भी करना चाहिए।

श्री पुष्पेंद्र सिंह ने ट्रांसफार्मर जारी करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव दिया कि कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में मीटर नंबर की तरह ही ट्रासंफार्मर का नंबर भी आ जाए तो संबन्धित व्यक्ति को ही ट्रासंफार्मर जारी किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मैटेरियल की जांच के लिए जाने वाले अधिकारियों का रोस्टर बनाना चाहिए।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि लॉस रिडक्शन प्रोगाम को गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करेंगे तो ही यह कार्य संभंव हो पाएगा। इसके कार्य के अंतर्गत खराब मीटरों को बदलना, सही मीटर रींडिग के साथ ही स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना एवं एमनेस्टी योजना को ढ़ग से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक आवर्स विद्युत आपूर्ति पर विशेष नियंत्रण किया जाए।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने सर्किलवार विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि बिजली चोरी को प्रभावी ढ़ग से रोकने के लिए हाल ही में निगम द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस जांच की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए और चोरी में निगम कर्मचारियों की मिली भगत पाई जाएगी तो उसकी जांच करके संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री पाण्डेय ने कहा कि बिजली चोरी के प्रकरण में भरी गई वीसीआर का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में कर दिया जाए। इसके साथ ही राजस्व वसूली प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि फीडर वाईज बाइंडर तैयार किया जाए जिससे ऐनर्जी ऑडिट का कार्य आसान हो जाएगा। श्री पाण्डेय ने बकाया राशि वसूली, केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, आंतरिक अंकेक्षण, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, शहरी और औद्योगिकी क्षेत्रों में लॉस रिडक्शन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम चरण में चिन्हित फीडरों पर लॉस रिडक्शन के लिए किये जा रहे कार्यों की प्रगति की भी सर्किलवार समीक्षा की।

ऊर्जा सलाहकार श्री आर.जी.गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि फीडर प्रबन्धन के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करके काम किया जाए। उन्होंने कहा कि शेष बचे दो तिहाई फीडरों पर 30 नवम्बर तक फीडर इंचार्ज नियुक्त करने का कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि सर्तकता जांच में बड़ी संख्या में अवैध ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी के पकड़े जा रहे मामलों को देखते हुए अब आवश्यक हो गया है कि ट्रांसफार्मरों की मॉनेटरिंग प्रभावी तरीके हो।

वीडियों कांफ्रेंस में तीनों डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 460/2016